

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर ।

समस्त डिप्टी कमिश्नर /असि०कमि० /वाणिज्य कर अधिकारी (स०प०/वि०अनु०शा०/क०नि०)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विधि अनुभाग के पत्रसंख्या -विधि -4-(1)परिपत्र पत्रावली भाग -2 (2010-11)/1715 /1011081/ वाणिज्य कर दिनांक 07-01-2011 के अन्तर्गत मैन्था ऑयल /डी मैन्थलाइज्ड आयल (डी०एम०ओ०)/मैन्थाल (2) सुपारी (3) सीमेन्ट (4) आयरन एण्ड स्टील के 50 कि०ग्रा० भार के 300 बोरी सीमेन्ट, 09 टन आयरन एण्ड स्टील तथा सुपारी के 70 कि०ग्रा० भार वाले 50 बैग व इससे अधिक माल के एक व्यापारी / उत्पादक द्वारा परिवहन किये जा रहे माल पर फार्म -21 (परिवहन मेमो) की व्यवस्था लागू किये जाने एवं व्यापारी द्वारा टैक्स इनवाइस /सेल इनवाइस बुक में माल के प्रस्थान की तिथि एवं समय, गन्तव्य स्थान पर माल पहुँचने की तिथि एवं समय और वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर का कॉलम प्रिन्ट /स्टैम्पिंग कराकर सम्बन्धित टैक्स /सेल इनवाइस बुक विभागीय अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर इन कालमों पर आवश्यक अंकन करते हुए माल का परिवहन किये जाने एवं ऐसे व्यापारी /निर्माता जिनके द्वारा कम्प्यूटर से टैक्स /सेल इनवाइस जारी किया जाता है उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराना सम्भव न होने से अवगत कराते हुए ऐसे व्यापारियों को अपने कर निर्धारण अधिकारी से आवश्यकतानुसार ओ०सी० स्टैम्प प्राप्त करने तथा ओ०सी० स्टैम्प को परिवहित किये जाने वाले माल के साथ रहने वाले टैक्स /सेल इनवाइस पर लगाये जाने तथा उसी क्रमांक के दूसरे ओ०सी० स्टैम्प को अपने अभिलेखों पर रखे जाने वाली प्रति पर लगाकर सुरक्षित रखे जाने की गयी व्यवस्था से अवगत कराया गया है ।

मुख्यालय पर उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न जोन में दिनांक 01-01-11 को क्रमांकित स्टैम्प 4,16,441बी०बी०, 2,44,746 सी०सी० तथा 49360 डी०डी० सीरीज के उपलब्ध हैं जो वर्तमान में प्रचलन में नहीं हैं :-

| क्र०स० | जोन का नाम   | स्टैम्प बी०बी० सीरीज | स्टैम्प सी०सी० सीरीज | स्टैम्प डी०डी० सीरीज |
|--------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1      | गौतमबुद्धनगर | 32054                | 1327                 | 2885                 |
| 2      | लखनऊ         | 48000                | 12000                | ----                 |
| 3      | वाराणसी      | 33000                | 7000                 | ----                 |
| 4      | इलाहाबाद     | 66000                | 17000                | -----                |
| 5      | मुरादाबाद    | 63008                | 34886                | 433                  |
| 6      | अलीगढ़       | 8000                 | ---                  | 14000                |
| 7      | गोरखपुर      | 72400                | 30500                | 250                  |
| 8      | मेरठ         | 10000                | 15800                | 20000                |
| 9      | फैजाबाद      | ---                  | 28900                | 5000                 |
| 10     | इटावा        | 24000                | ---                  | ---                  |
| 11     | झाँसी        | 39479                | 83049                | 6792                 |
| 12     | सहारनपुर     | 20500                | 14284                | ----                 |
|        | कुल योग      | 4,16,441             | 2,44,746             | 49360                |

वर्तमान में ओ०सी० स्टैम्प ए०ए० सीरीज की भारी संख्या में की जा रही मॉग एवं इनकी उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्टॉक में उपलब्ध क्रमांकित बी०बी०, सी०सी० तथा डी०डी० सीरीज के स्टैम्प का प्रयोग भी ए० ए० सीरीज स्टैम्प के स्थान पर किया जाय तथा कर निर्धारण अधिकारियों को इन्हें आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराते हुए इनका पूरा विवरण रखा जाय एवं उन्हें यह निर्देशित कर दिया जाय कि ए०ए० सीरीज के ओ०सी०स्टैम्प उपलब्ध न रहने पर इन सीरीज के स्टैम्प को भी व्यापारियों को उनकी मॉग के अनुरूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इसका पूरा विवरण अभिलेखों पर रखें। व्यापारियों द्वारा इनका प्रयोग किये जाने पर इन सीरीज के स्टैम्प को उसी प्रकार मान्यता प्रदान की जाए जिसप्रकार ए०ए० सीरीज के ओ०सी०स्टैम्प को मान्यता प्रदान की जा रही है। किसी जोन में ओ०सी० स्टैम्प के अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य जोन से जहाँ आवश्यकता से अधिक स्टैम्प उपलब्ध है, से आवश्यकतानुसार अपने जोन के लिए स्टैम्प प्राप्त करके आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इसका प्रचार -प्रसार अपने स्तर से अधिवक्ता संघो एवं व्यापारिक संगठनों को भी कराना सुनिश्चित करेंगे।

(चयमान)

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक उक्त ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. संयुक्त सचिव ,कर एवं निबंधन अनुभाग -4 उ०प्र० शासन सचिवालय,लखनऊ ।
2. अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ०प्र० इलाहाबाद ।
3. डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी (उच्च न्याय कार्य) इलाहाबाद /लखनऊ ।
4. मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
5. श्री पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य ,उ०प्र० राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए-138 ए सेक्टर -27, नोएडा ।
6. श्री मनीष शर्मा ,ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस ,आर० -15/5 राजनगर ,गाजियाबाद ।
7. श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन्स RDC-51 राजनगर ,गाजियाबाद ।



(एम० के० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स०द०/फार्म)वाणिज्य कर,  
मुख्यालय,लखनऊ ।